मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

विभिन्न योजनाओं में लाटरी पद्धति से भवन/फ्लैटस्, डुप्लेक्स/विलॉज प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों की

पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण अवधि दिनांक : 16–07–2021 से 16–08–2021 तक

(विवरण पुस्तिका मूल्य रूपये 50/– मात्र)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर पूर्व में निर्मित उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैटस प्राप्त करने की नियम एवं शर्तों का विवरण–

1. योजना का नाम–

योजनाओं के नाम रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

2. योजना का कोड़–

योजना के कोड रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

3. विशेष आकर्षण–

3.10 क–सड़क, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत एवम् जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त।

ख–सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण से परिपूर्ण।

3.20 अत्यन्त सरलीकरण आवंटन प्रक्रिया।

3.30 योजना का लाभ दिनांक 16–07–2021 से 16–08–2021 तक।

4. ग्राह्यता (पात्रता)–

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक वयस्क हो अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

5. आवेदन कैसे करें–

5.10 आवेदन–पत्र केवल निर्धारित प्रारूप–पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रूपये 10/– का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भवन/फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा। पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

5.20 *आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित यथा विज्ञापित निर्धारित उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।*

(पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है।)

5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति–पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।

5.40 आवेदन पत्र निम्नलिखित बैंक से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके, इन्हीं बैंकों में निर्धारित तिथि तक जमा किये जा सकते है:–

इण्डियन बैंक, मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ।

6. आवंटन प्रक्रिया–

6.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भवन/फ्लैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी विशेष भवन/फ्लैट हेतु क्लेम भी स्वीकार नहीं होगा।

6.20 आवेदक के पक्ष में जिस **भवन, विलॉज, फ्लैट** का आवंटन होगा, उस **भवन, विलॉज, फ्लैट** की वास्तविक कीमत के सापेक्ष जमा पंजीकरण धनराशि का समायोजन किया जायेगा। प्रत्येक **भवन, विलॉज, फ्लैट** का मूल्य प्राधिकरण की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

6.30 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।

6.40 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.50 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड/लीज टाईटल के साथ आवंटित **भवन, विलॉज, फ्लैट** का "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

6.60 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

6.70 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

6.80 आवंटी को **भवन, विलॉज, फ्लैट** के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा **भवन, विलॉज, फ्लैट** का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6.90 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण **भवन, विलॉज, फ्लैट** देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित **भवन, विलॉज, फ्लैट** नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. भुगतान प्रक्रिया–

शासन द्वारा जारी सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् भवन, विलॉज के आवंटियों को सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि तथा फ्लैटस् के आवंटियों को फ्लैटस् में निहित भूमि मूल्य का नियमानुसार देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि कीमत में शामिल करके किश्तों में ली जायेगी।

7.10 **उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैटस्** की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 12 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.20 **मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन, फ्लैटस् की कीमत** में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 14 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.30 **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट की कीमत** में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 13 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.40 पूर्व में निर्मित भवनों/फ्लैटस् को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है। तालिका में उल्लिखित **भवन/फ्लैट** अद्धनिर्मित है, जिनमें जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी भवन/फ्लैट में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा। किन्तु पंजीकरण हेतु प्रकाशित विवरण तालिका में पंजीकरण हेतु मानक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि का उल्लेख किया गया है जो कमी–बेशी के आधार पर भवन/फ्लैट के वास्तविक मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

7.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8. दण्ड ब्याज–

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो बिलम्ब अवधि के लिये दुर्बल आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 13 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग व मिनी मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 14 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग उच्च श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। भवन/फ्लैट की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम् 2 किश्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. कब्जा–

पूर्व में निर्मित भवनों, विलॉज, फ्लैटस् को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है जिनके आवंटन पश्चात् आवंटी को प्राथमिक स्टेज़ पर भवन, विलॉज, फ्लैटस् की कीमत का न्यूनतम् 40 प्रतिशत धनराशि एवं नियमानुसार पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए तथा यदि आवेदक किश्तों के चलते रहते कब्जा प्राप्त करना चाहे तो सम्पत्ति मूल्य का न्यूनतम् 40 प्रतिशत धनराशि व कब्जा प्राप्ति तक की देय किश्तें अद्यतन् जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण

द्वारा आवंटित भवन/फ्लैट का "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन कराने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई–पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

9.10 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय–समय पर करना होगा।

9.20 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय–समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/ नियमों–उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।

9.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से स्वयं अपने खर्चे पर लेगा।

9.40 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रूपये 500/– प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।

10. निबन्धन प्रक्रिया–

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार देय पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई–पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा। यदि भवन/फ्लैट का विलेख कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प डयूटी को नियमानुसार "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" निष्पादन के समय देय स्टाम्प डयूटी में समायोजित किया जायेगा।

11. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी–

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:–

(अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि **भवन/फ्लैट** का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ–साथ **भवन/फ्लैट** के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो

भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

12. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया–

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज, फ्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दयेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'पूर्व में निर्मित भवन/फ्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो भवन/फ्लैट के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत भवन/फ्लैट की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

13.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना–

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन/फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. अन्य सूचनायें/शर्तें–

14.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों–उप नियमों का अनुपालन करना होगा।

14.20 प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

14.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत–प्रतिशत जब्त करते हुए भवन/फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

14.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

14.50 तालिका में उल्लिखित भवनों/फ्लैटस् के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

14.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित मा0न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

14.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तो में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

14.80 इस योजना में भवनों/फ्लैटस् की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

14.90 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
आवासीय भवनों को वित्तीय वर्ष 2017—18 की कीमत पर प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आकर्षक मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के भवन, विलॉज एवं फ्लैटस् के आवंटन हेतु पंजीकरण दिनांक 16—07—2021 से 16—08—2021 तक खोला गया है। आवेदक एम0डी0ए0 बिल्डिंग में स्थित इण्डियन बैंक से रूपये 50/— के भुगतान पर बुकलेट प्राप्त करके अपना फार्म भरकर बैंक में दिनांक 16—07—2021 से 16—08—2021 तक जमा करा दें। इससे सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण प्राधिकरण की वेब साईट **www.mdameerut.in** पर तथा **On Line Registration** की सुविधा वैबसाईट के **Useful Links** के अन्तर्गत उपलब्ध है।

सचिव। उपाध्यक्ष।

पंजीकरण दिनांक 16–07–2021 से 16–08–2021 तक,

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् के <u>पंजीकरण हेतु विवरण तालिका</u>

क्र0 स0	योजना का नाम	सैक्टर/ पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन/ फ्लैट की संख्या	अनु0 क्षेत्रफल (व0मी0)	वर्तमान कीमत	पंजीकरण धनराशि 10% (रूपये में)	आवंटन धनराशि 15% (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	पल्लवपुरम फेस–2 (2 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–एल	दुर्बल आय वर्ग	02	23.38	652200	65220	97830
2.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–पी	मिनी मध्यम आय वर्ग	01	105.11	3555000	355500	533250
3.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–ओ	उच्च आय. वर्ग	01	180.00	6214500	621450	932175
4.	श्रद्धापुरी फेस–प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–7	अल्प आय वर्ग	12	46.31	1509780	150978	226467
5.	श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ई	अल्प आय वर्ग	14	46.31	1181810	118181	177272
6.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	15	85.81	3361750	336175	504263
7.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	19	85.81	2931150	293115	439673
8.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	20	85.81	2931150	293115	439673
9.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	22	85.81	2931150	293115	439673
10.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–डी	मध्यम आय वर्ग (विला/डुप्लैस भवन)	9	112.50	5636700	563670	845505
11.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–ई	मध्यम आय वर्ग (विला/डुप्लैस भवन)	12	112.50	5626700	562670	844005
12.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. +स्टडी रूम	6	99.40	2698000	269800	404700
13.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. +स्टडी रूम	35	99.40	2377000	237700	356550
14.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. टाईप–ए	23	81.15	2336000	233600	350400

15.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. टाईप–ए	66	81.15	1990000	199000	298500
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. +. स्टेडी	10	99.40	2698000	269800	404700
17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. +. स्टेडी	32	99.40	2377000	237700	356550
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	20	81.15	2336000	233600	350400
19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	53	81.15	1990000	199000	298500
20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	21	86.10	2384300	238430	357645
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	69	86.10	2186600	218660	327990
22.	शताब्दीनगर, सेक्टर–1 (4 मंजिला फ्लैट)	पॉकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	14	31.33	880000	88000	132000
23.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	उच्च आय वर्ग	01	180.00	3944000	394400	591600
24.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	01	25.61	677200	67720	101580
25.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	09	25.61	596700	59670	89505
26.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	05	25.61	616800	61680	92520
27.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	18	37.79	926400	92640	138960
28.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	784600	78460	117690
29.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	820000	82000	123000
30.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	62	27.98	810100	81010	121515
31.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	63	27.98	712100	71210	106815
32.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	27.98	736600	73660	110490
33.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1263200	126320	189480
34.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1090600	109060	163590
35.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	56	37.79	1090600	109060	163590
36.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	37.79	1090600	109060	163590

37	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**34**	**54.00**	**799500**	**79950**	**119925**
38.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**24**	**54.00**	**886700**	**88670**	**133005**
39.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट–बी.	3बी.एच.के फ्लैट	**8**	**112.50**	**3624656**	**362466**	**543698**
40.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के फ्लैट	**24**	**94.00**	**3056571**	**305657**	**458486**
41.	गंगानगर (फ्लेट)	पॉकेट–जे	अल्प आय वर्ग	**32**	**39.75**	**1270000**	**127000**	**190500**
42.	गंगानगर (फ्लेट)	पाकेट–जे	दुर्बल आय वर्ग	**3**	**28.00**	**823100**	**82310**	**123465**
43.	गंगानगर (फ्लेट)	पाकेट–जे	दुर्बल आय वर्ग	**3**	**28.00**	**823100**	**82310**	**123465**
44.	गंगानगर (फ्लेट)	पाकेट–एच	दुर्बल आय वर्ग	**6**	**31.33**	**865500**	**86550**	**129825**

1. प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर विवरण देखा जा सकता है।
2. आवेदक, जिस श्रेणी की सम्पत्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा, आवेदक को उसी श्रेणी की सम्पत्तियों के सापेक्ष लाटरी ड्रा में सम्मिलित किया जायेगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

x-x-x-x-x

आवेदन पत्र सं0 ....

(पंजीकरण अवधि दिनांक 16–07–2021 से 16–08–2021 तक)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में लाटरी पद्धति से भवन, फ्लैलटस्, डूप्लेक्स/विलॉज आकर्षक मूल्य पर प्राप्त करने हेतु

पंजीकरण आवेदन पत्र

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वःहस्ताक्षरित चस्पा फोटो

1. आवेदन किस योजना की किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) योजना का नाम ....

(ब) सम्पत्ति की श्रेणी ....

(स) सेक्टर ....

(द) पॉकेट ....

2. आवेदित सम्पत्ति का क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर

3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

अंग्रेजी में ....

4. आवेदक की आयु .... वर्ष लिंग .... वैवाहिक स्तर ....

5. व्यवसाय ....

6. आवेदक के पिता/पति का नाम ....

7. पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरभाष सहित ....
....
....

8. स्थायी पता दूरभाष सहित ....
....
....

9. आवेदक का राष्ट्रीकृत बैंक में खाता संख्या, आई0एफ0सी0 कोड व बैंक का पूरा नाम दूरभाष सहित ....
....
....

10. जमा पंजीकरण धनराशि का विवरण ....

11. आवेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंजीकरण पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। पंजीकरण पुस्तिका में प्रकाशित नियम व शर्ते आवेदक को मान्य है जिसका पालन करने हेतु आवेदक एतद्द्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि .... आवेदक के हस्ताक्षर ....

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् का विवरण

पंजीकरण अवधि 16–07–2021 से 16–08–2021 तक

क्र0 स0	योजना का नाम	सैक्टर / पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन/ फ्लैट की संख्या	भवन/फ्लैट संख्या	क्षेत्रफल (व0मी0)	वर्तमान कीमत	प्राप्त आवेदकों की संख्या
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	पल्लवपुरम फेस–2 (2 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–एल	दुर्बल आय वर्ग	**02**	एल/डी–8, 13,	**23.38**	**652200**	
2.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–पी	मिनी मध्यम आय वर्ग	**01**	पी–71	**105.11**	**3555000**	
3.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–ओ	उच्च आय वर्ग	**01**	ओ0एच0–214,	**180.00**	**6214500**	
4.	श्रद्धापुरी फेस–प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–7	अल्प आय वर्ग	**12**	एफ–11, 12, 16 एस–02, 14, टी–06, 10, 12, 15, 19, 22, 23	**46.31**	**1509780**	
5.	श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ई	अल्प आय वर्ग	**14**	एफ–11, 12, 24, एस–01, 07, 12, 13, 17, 20, टी–02, 06, 11, 13, 21,	**46.31**	**1181810**	
6.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	**15**	3ए, 5ए., 6ए., 9ए., 11ए., 13ए., 14ए., 15ए, 16ए., 17ए., 20ए., 21ए, 22ए., 23ए., 24ए.,	**85.81**	**3361750**	
7.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	**19**	1बी., 2बी., 3बी., 5बी., 9बी., 10बी., 11बी., 13बी., 14बी., 15बी., 16बी., 17बी., 18बी., 19बी, 20बी, 21बी., 22बी., 23बी., 24बी.,	**85.81**	**2931150**	
8.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	**20**	1सी., 3सी., 4सी., 5सी., 6सी., 7सी., 9सी., 10सी., 11सी., 12सी., 13सी., 14सी., 15सी., 16सी.,17सी., 18सी., 19सी., 20सी., 23सी., 24सी.,	**85.81**	**2931150**	
9.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	**22**	1डी., 2डी., 3डी., 4डी., 5डी., 6डी., 7डी., 8डी., 9डी., 10डी., 11डी., 12डी., 13डी., 14डी., 15डी., 16डी., 19डी., 20डी., 21डी., 22डी., 23डी., 24डी.	**85.81**	**2931150**	

10.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–डी	मध्यम आय वर्ग (विला/ डुप्लैस भवन)	**9**	03, 06, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20,	**112.50**	**5636700**	
11.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–ई	मध्यम आय वर्ग (विला/ डुप्लैस भवन)	**12**	23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 44, 46,	**112.50**	**5626700**	
12.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. +स्टडी रूम	**6**	जी–18, 21, 22, 24, 37, 39,	**99.40**	**2698000**	
13.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. +स्टडी रूम	**35**	एफ–13, 15, 17, 22, 40, 42, 43, एस–14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 39, 41, 43, 45, 46, 48, टी–13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,	**99.40**	**2377000**	
14.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. टाईप–ए	**23**	जी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	**81.15**	**2336000**	
15.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. टाईप–ए	**66**	एफ–02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, एस–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, टी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	**81.15**	**1990000**	
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के. +. स्टेडी	**10**	जी–14, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 39, 41, 44,	**99.40**	**2698000**	

17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट– बी.	2बी.एच. के. +. स्टेडी	32	एफ–13, 14, 17, 21, 22, 24, 37, 44, एस–13, 14, 18, 22, 46, 47, टी–13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	99.40	2377000	
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट– बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	20	जी–01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	2336000	
19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट– बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	53	एफ–01, 07, 08, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, एस–01, 02, 04, 08, 09, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, टी–01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	1990000	
20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट– सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	21	जी–1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	86.10	2384300	
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट– सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	69	एफ–02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एस–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	86.10	2186600	
22.	शताब्दीनगर, सेक्टर–1 (4 मंजिला फ्लैट)	पॉकेट– सी	दुर्बल आय वर्ग	14	जी–19, एफ–15, 22, 28 एस–13, 17, 18, 26, 29 टी–11, 16, 17, 22, 29	31.33	880000	
23.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	उच्च आय वर्ग	01	ए–43,	180.00	3944000	

24.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**01**	भूतल सी–103,	**25.61**	**677200**	
25.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**09**	प्रथम तल सी–74, 98, 137, 159, 181, 76, 91, 92, 88	**25.61**	**596700**	
26.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**05**	द्वितीय तल सी–61, 65, 70, 75, 159	**25.61**	**616800**	
27.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**18**	भूतल सी–20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 126,	**37.79**	**926400**	
28.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**24**	प्रथम तल सी–05, 08, 12, 16, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 107, 109, 113,	**37.79**	**784600**	
29.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**24**	द्वितीय तल सी–02, 06, 21, 22, 35, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 120, 124	**37.79**	**820000**	
30.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**62**	भूतल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**810100**	
31.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**63**	प्रथम तल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**712100**	

32.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**64**	द्वितीय तल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**736600**	
33.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**58**	भूतल सी.पी.–01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 73, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 96,	**37.79**	**1263200**	
34.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**58**	प्रथम तल सी.पी.–01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 86, 94, 95, 96	**37.79**	**1090600**	
35.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**56**	द्वितीय तल सी.पी.–02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 94, 96	**37.79**	**1090600**	

36.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट– सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	तृतीय तल सी.पी.–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,	37.79	1090600	
37.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	34	M-136, 137, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 154, 155, 156, 197, 204, 205, 206, 353, 354, 357, 359, 361, 362, 364, 383, 384, 385, 386, 388, 390, 396, 398, 402, 415, 416, 424,	54.00	799500	
38.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	24	M-175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 211, 215, 217, 218, 219, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 318, 320, 322,	54.00	886700	
39.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट– बी.	3बी.एच. के. फ्लैट	8	ए–08, ए–102, ए–204, ए–206, ए–207, ए–306, ए–404, ए–405,	112.50	3624656	
40.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट– बी.	2बी.एच. के फ्लैट	24	बी–08, सी–403, डी–07, डी–08, डी–305, डी–405, डी–406 ई–105, ई–107, ई–401, ई–406, एफ–06, एफ–08, एफ–107, एफ–203, एफ–204, एफ–205, एफ–206, एफ–307, एफ–404, एफ–405, जी–107, जी–302, जी–405	94.00	3056571	
41.	गंगानगर (फ्लैट)	पॉकेट– जे	अल्प आय वर्ग	32	जी–31, 32, एफ–17, 19, 22, 23, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 48, एस–19, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 44, 48, टी–25, 31, 33, 40, 44,	39.75	1270000	
42.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट– जे	दुर्बल आय वर्ग	3	एफ–03, 04, 14,	28.00	823100	
43.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट– जे	दुर्बल आय वर्ग	03	टी–04, 13, 16	28.00	823100	

44.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट–एच	दुर्बल आय वर्ग	**6**	एफ–22, टी–01, 08, 13, 14, 20,	**31.33**	**865500**	
			कुल सम्पत्ति	**1116**			कुल आवेदक	